माननीय न्यायमूर्ति ***जितेंद्र चौहान,***के समक्ष ,
पप्पू सिंह और अन्य- *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य - *प्रतिवादी*

क्रानो.एलएल33-एसबीओएफ2000

जुलाई 16, 2013

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 - धारा 15, 55 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313 - "सचेत कब्जा" - अपीलकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया - सीआरआरसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में अपीलकर्ताओं से "सचेत कब्जे" के बारे में विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया। - उनके खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है - अपीलकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया - पुलिस अधिकारी आरोपी को पहले नहीं जानते थे - परीक्षण पहचान परेड नहीं - उपयोग के बाद सील स्वतंत्र गवाह को नहीं सौंपी गई थी - फॉर्म 29-एम मौके पर नहीं भरा गया और न ही मालखाने में जमा किया गया - प्रत्येक बैग से केवल एक नमूना अलग किया गया - अधिनियम की धारा 55 के अनुसार दो नमूने लिए जाने चाहिए थे - आरोपी प्रशिक्षित अधिकारियों की उपस्थिति में भाग गए - अभियोजन पक्ष ने उनके भागने की व्याख्या नहीं की है - वसूली के समय कोई राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं था - वसूली अत्यधिक संदिग्ध और रिकॉर्ड पर सामग्री दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है अभियुक्त - अपील की अनुमति दी गई।

माना जाता है कि वर्तमान मामले में, ईंट भट्ठे से अफीम के भूसे की भारी बरामदगी हुई थी। मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयानों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि अधिनियम की धारा 35 या 54 के तहत उठाए जाने वाले अनुमान के बारे में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था। नतीजतन, पूर्वोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, इस आशय की ऐसी धारणा कि अभियुक्त बैग के सचेत कब्जे में थे, उनके खिलाफ नहीं खींचा जा सकता है।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि किसी भी आरोपी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान कैसे की। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि पुलिस दल के सदस्य अभियुक्तों को पहले से जानते थे, यदि हां, तो पुलिस पार्टी को उन्हें कैसे पता चला, इसका संदर्भ नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई जांच शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए, घटनास्थल से भागे आरोपी की

पहचान का मिलान वर्तमान आरोपियों से नहीं किया जा सकता था, जिन पर वास्तविक अपराधी होने का संदेह था। इस मामले में गलत पहचान की संभावना है। कथित तौर पर आरोपी को पहचानने वाले एएसआई की वर्तमान आरोपी के साथ कोई दोस्ती या गहरे संबंध नहीं थे, जिससे फरार आरोपी की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था। वर्तमान अभियुक्त को केवल संदेह के आधार पर फंसाने की संभावना है।

(पैरा 15)

आगे कहा गया कि उपयोग के बाद मुहर पंद्रह दिनों की अवधि के लिए जांच अधिकारी के पास रही। इसे किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं सौंपा गया, जो टीम का हिस्सा थे।

(पैरा 16)

आगे कहा गया कि फॉर्म नंबर 29-एम भी मौके पर नहीं भरा गया था और न ही मालखाने में जमा किया गया था। नमूने 14 दिनों के बाद रासायनिक परीक्षक को भेजे गए थे। यह माना गया कि नमूनों के साथ छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है और यह लिंक साक्ष्य में एक गंभीर दोष था।

(पैरा 17)

आगे कहा गया कि जैसा कि पीडब्लू 11 एएसआई हरि चंद, जांच अधिकारी के साक्ष्य से स्पष्ट है, प्रत्येक बैग से 100 ग्राम का केवल एक नमूना अलग किया गया था। अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दो नमूने लिए जाने चाहिए थे। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों को हालांकि प्रकृति में केवल निर्देशिका माना जाता है, उन्हें भी छोड़ दिया गया है।

(पैरा आईएस)

आगे कहा कि जीपों में छापेमारी दल में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी थे। जांच अधिकारी के बयान के अनुसार, वे आरोपियों से कुछ गज की दूरी पर थे, जब वे भाग गए। सभी पुलिस अधिकारी डंडा और अन्य हथियारों से लैस थे। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष द्वारा बहुत कुछ समझाया जाना बाकी है कि कैसे सभी आरोपी भाग निकले और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी एक भी आरोपी को पकड़ नहीं सके।

(पैरा 19)

आगे कहा गया कि बरामदगी के समय कोई गजट अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। जब ट्रक नंबर सत्यापित किया गया था, तो यह एक स्कूटर मालिक को जारी किया गया था, परिस्थितियां, पोस्ता स्ट्रॉ की बरामदगी अत्यधिक संदिग्ध है और रिकॉर्ड पर सामग्री आरोपी को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(पैरा 20)

अश्वनी वर्मा, क्रानो.1 133-एसबी ऑफ 2000 में अपीलकर्ताओं के लिए वकील

राहुल वत्स, 2000 के सीआरए नंबर 1167-एसबी और 2001 के सीआरए नंबर 273 एसबी में अपीलकर्ताओं के वकील

दीपक जिंदल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, आई लारियाना

जितेन्द्र चौहान, जे.

(एल) यह निर्णय तीन अपीलों अर्थात 2000 के क्रानो.1 133 एसबी, पप्पू सिंह, ढोला उर्फ बंता, बाबू उर्फ टुंडा और कोशाला उर्फ कुशाल चंद द्वारा दायर किया जाएगा; दिनांक 18/21-10-2000 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध लक्खा सिंह द्वारा दायर 2000 की सीआरए सं एलएल 67-एसबी और जमैल सिंह @Russi द्वारा दायर सीआरए सं 273 एसबी 2001, जिसके तहत सभी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और 50,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। एक-एक लाख; जुर्माना अदा न करने पर दोषी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 15 के तहत एक साल के लिए सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी, जबकि सनवर मल, ओम प्रकाश, रणबीर और पवन सिंह को निचली अदालत ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष उक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

(दो) आक्षेपित निर्णय के पैरा संख्या 2 में वर्णित मामले के अधिनिर्णय के लिए आवश्यक तथ्य निम्नानुसार हैं: -

> "इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह (पीडब्लू 14) 9.8.1996 को पुलिस स्टेशन रतिया में एसएचओ के रूप में तैनात थे। उस दिन वह ग्राम बलियाला क्षेत्र में भाखड़ा नहर के पुल पर जीप में सवार होकर हेड कांस्टेबल शेर सिंह, कांस्टेबल रामेश्वर दास, कृष्ण कुमार, निहाल सिंह, ईश्वर सिंह और सुमेर सिंह के साथ मौजूद थे। हेड कांस्टेबल राम फल जीप का चालक था। इंस्पेक्टर श्री धर्मबीर सिंह को गुप्त सूचना मिली कि ट्रक नंबर 2829 आरएसएन जिसमें पोस्ता पुआल और खल लदा हुआ बैग था, वहां से चला गया था

रलिया गांव बलियाला की ओर गांव रतनगढ़ और लक्खा सिंह, रसी उर्फ जमैल सिंह निवासी गांव बलियाला, खोशाला उर्फ कुशाल चंद, ढल्ला उर्फ बंता सिंह, पप्पी और टुंडा उर्फ बाबू निवासी महमदकी ट्रक में पोस्ता के साथ पोस्ता लेकर आए थे। गुप्त सूचना को निरीक्षक धर्मबीर सिंह ने लिखित रूप में (एलएक्स पीजी) कम कर दिया और मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया, जिसके आधार पर एएसआई जय सिंह (पीडब्लू 6) द्वारा औपचारिक प्राथमिकी (Ex.PG/1) दर्ज की गई। इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह ने पुलिस चौकी मेहहरा, पुलिस चौकी खाई और पुलिस चौकी मढ़ को वायरलेस सिस्टम पर संदेश प्रेषित किया और इन पुलिस चौकियों में तैनात पुलिस अधिकारियों और पुरुषों को रतनगढ़ में उनसे मिलने के लिए और पुलिस स्टेशन रतिया को एक और संदेश भेजा कि तहसीलदार रतिया या डीएसपी फतेहाबाद को रतनगढ़ लाने के लिए यदि वे उपलब्ध थे। इस मैसेज को भेजने के बाद धर्मबीर इंस्पेक्टर रतनगढ़ मोड़ पर गए जहां से एक सड़क गांव बलियाला की ओर जाती है। एएसआई हरि चंद, प्रभारी पुलिस चौकी मढ़ और एएसआई कटार सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी मेहम्हरा ने उनसे रतनगढ़ मोड़ पर मुलाकात की क्योंकि वे वायरलेस सिस्टम पर संदेश प्राप्त करने के बाद वहां पहुंचे थे। एएसआई कटार सिंह और एएसआई हरि चंद के साथ पुलिस चौकी महम्हरा और माढ़ में तैनात सिपाही भी थे। इसके बाद इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह एएसआई कटार सिंह के साथ गांव बलियाला के लिए रवाना हुए। एएसआई हरि चंद और कांस्टेबल। ग्राम बलियाला में उन्हें सूचना मिली कि ग्राम बलियाला के क्षेत्र में प्रदीप कुमार के परित्यक्त ईंट भट्ठे के स्थान पर आंगन की बोरियों को उतार दिया गया है और लाख ए सिंह, रूसी उर्फ जमैल सिंह, कोशाला, ढल्ला उर्फ बंता सिंह और टुंडा उर्फ बाबू परित्यक्त ईंट भट्ठे के स्थान पर पोस्ता पुआल बेच रहे थे। छापेमारी दल में ग्राम बलियाला के सरपंच केसर सिंह और गांव बलियाला निवासी स्वर्ण सिंह अन्य धर्मबीर सिंह इंस्पेक्टर से जुड़े थे। इसी दौरान वायरलेस सिस्टम पर मैसेज आया कि न तो तहसीलदार रतिया और न ही बीडीओ रतिया। न ही डीएसपी फतेहाबाद मुख्यालय में उपलब्ध थे। इसके बाद धरमबीर इंस्पेक्टर छापेमारी दल के साथ प्रदीप कुमार के ईंट भट्ठे पर गए। जब जीप खाली पड़े ईंट भट्ठे की ओर मुड़ी तो जमैल सिंह उर्फ रसी, लक्खा सिंह, बंता सिंह उर्फ ढल्ला ने देखा। टुंडा उर्फ बाबू राम। कोशाला और पप्पू जो बोरियों पर बैठे देखे गए थे, वे पुलिस दल को जीप में आते देख झूठ बोल गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें कुछ के लिए राजी किया

दूरी, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। जब बोरियों की जांच की गई तो 60 बैग में चूरा पोस्त और 15 बैग में बिनोला की खाल थी। जब अफीम के भूसे के साथ बोरियों को तौला गया, तो प्रत्येक बोरी का वजन 40 किलोग्राम पाया गया। नमूने के रूप में प्रत्येक बोरी से 100 ग्राम पोस्ता भूसा अलग किया गया था। 100 ग्राम पोस्ता स्ट्रॉ वाले 60 पार्सल तैयार किए गए और इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह द्वारा 1 डीआर की मुहर के साथ सील किए गए। प्रत्येक बैग में 39 किलोग्राम 900 ग्राम पोस्ता के भूसे वाले शेष बोरों को भी 'डीआर' की मुहर के साथ सील कर दिया गया था। सील के नमूना छाप को फिर से रोकने के बाद, इंस्पेक्टर द्वारा एएसआई हरि

चंद को सील सौंप दी गई। जब्ती ज्ञापन (I ix.PB) तैयार किया गया था और पोस्ता पुआल वाले सीलबंद पार्सल उसके कब्जे में ले लिए गए थे। जब्ती ज्ञापन को केसर सिंह सरपंच, स्वर्ण सिंह और एएसआई हरि चंद ने सत्यापित किया। साइट प्लान (Kx.PJ) भी सही सीमांत नोटों के साथ तैयार किया गया था। विशेष रिपोर्ट (Ex.PK) पुलिस स्टेशन को इस संदेश के साथ भेजी गई थी कि इस रिपोर्ट की एक प्रति उच्चाधिकारियों को भेजी जाए। आसानी संपत्ति और नमूना सील छाप के रूप में खसखस पुआल युक्त सील पार्सल एमएचसी के साथ जमा किए गए थे। धारा 57 के तहत रिपोर्ट तैयार की गई और इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह द्वारा एमएचसी राम निवास (पीडब्लू 4) को उच्च अधिकारियों को भेजने के लिए सौंप दिया गया। बीर सिंह, पवन, ओम प्रकाश और रणबीर अभियुक्त एक कार संख्या डीएल-2सी-5785 में सनवर मल अभियुक्त द्वारा चलाया गया था, जो 13.8.1996 को गांव रतनगढ़ के क्षेत्र में एक क्रॉसिंग पर आया था। कार को रोका गया और निरीक्षक धर्मबीर सिंह द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने 9-8-1996 को 60 बोरे पोस्त के भूसे को ले जा रहे ट्रक को उड़ा दिया था। जब्ती ज्ञापन (Ex.PH) के माध्यम से निरीक्षक धर्मबीर सिंह द्वारा कार संख्या डीएल-2सी-5785, सांवर मल अभियुक्त का ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी भी अपने कब्जे में ले ली गई थी। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि पोस्ता स्ट्रॉ सांवर मल, पवन, ओम प्रकाश और रणबीर का था और इन्हें उनके द्वारा खुदरा बिक्री के लिए कोशाला, बंता उर्फ धैला, जमैल उर्फ रसी, पप्पू, लक्खा सिंह और बाबू राम उर्फ टुंडा को सौंपा गया था और 13.8.1996 को सांवर मल आदि अफीम के भूसे की बिक्री से प्राप्त आय एकत्र करने के लिए गांव बहाला जा रहे थे। एएसआई ईश्वर सिंह (पीडब्लू 10) ने ढैला उर्फ बंता को 17.9.1997 को और जरनैल सिंह को 12.11.1996 को गिरफ्तार किया। कौशल चंद को 17.2.1997 को एएसआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था

एएसआई जगबीर सिंह (पीडब्लू 8) और लक्खा सिंह ने 2.2.1998 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद की अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें एएसआई अनूप सिंह (पीडब्लू 7) द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एमएचसी राम निवास ने 12.8.1996 को कांस्टेबल महाबीर सिंह नंबर 233 को डीआर की सील वाले 100 ग्राम पोस्ता स्ट्रॉ वाले 60 सीलबंद पार्सल निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन के पास जमा करने के लिए नमूना सील छाप के साथ वितरित किए। कांस्टेबल महाबीर सिंह पीडब्लू 3 ने पोस्ता स्ट्रॉ से भरे सीलबंद पार्सल नमूने के लिए निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के पास जमा किए। मुहरों के साथ मधुबन बरकरार है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन ने दिनांक 7.11.1996 (Lx.PL) की अपनी रिपोर्ट में कांस्टेबल महाबीर सिंह द्वारा दिए गए नमूनों की पहचान पोस्ता के रूप में की।

(तीन) जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। अभियुक्तों पर अधिनियम की धारा 15 के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं माना और मुकदमे का सामना करने का दावा किया।

(चार) आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों की जांच की है:

पीडब्लू 1, केसर सिंह को छापा मारने वाले दल में स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल किया गया था, बाद में उसे मुकर घोषित कर दिया गया था। अपनी जिरह में, उसने गवाही दी कि उसकी उपस्थिति में कोई वसूली नहीं हुई थी और वह अदालत में मौजूद आरोपी को नहीं जानता था। पुलिस ने कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर लिए थे।

पीडब्लू 2, स्वर्ण सिंह, एक अन्य स्वतंत्र गवाह थे, जिन्हें भी मुकर घोषित किया गया था। अपने बयान में, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को ट्रक से बैग उतारते नहीं देखा।

पीडब्लू 3 कांस्टेबल महाबीर सिंह ने अपना शपथ पत्र पूर्व पीडी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने डीएफएसएल, मधुबन में पार्सल जमा किए हैं।

पीडब्लू 4 एमएचसी रामनिवास ने Ex.PE अपना हलफनामा दिया, जिसमें उन्होंने गवाही दी कि उन्हें बरामदगी और नमूना पार्सल प्राप्त हुए हैं। उन्होंने पार्सल कांस्टेबल महाबीर सिंह को सौंप दिए, जिन्होंने रासायनिक परीक्षक के पास जमा करने के बाद रसीद उन्हें सौंप दी।

पीडब्लू 5, कांस्टेबल ओम प्रकाश, जिन्होंने पूर्व पीआईवीएल पर डीएसपी चरणजीत सिंह के हस्ताक्षर की पहचान की।

पीडब्लू 6 एएसआई जय नारायण थाना रतिया में तैनात थे। रुका Ex.PG प्राप्त करने पर, उन्होंने औपचारिक एचआर Ex.PG/1 दर्ज की।

पीडब्लू 7 एएसआई अनूप सिंह, आरोपी लक्खा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह जोधपुर में आरटीए कार्यालय गए। उन्होंने सत्यापित किया कि पंजीकरण संख्या आरएसएन 2794 और आरएसएन 2829 क्रमशः एक ट्रेलर और स्कूटर मालिकों को जारी किए गए थे।

पीडब्लू 8 एएसआई जगबीर सिंह, आरोपी कौशल चंद को बस स्टैंड मध से गिरफ्तार किया।

पीडब्लू 9एएसआई राम कुमार ने साबित किया Ex.P1 मैंने साबित किया कि आरसी सांवर मल का ड्राइविंग लाइसेंस और कार को कब्जे में ले लिया गया।

पीडब्लू 10 एएसआई ईश्वर सिंह ने आरोपी ढल्ला @ बंता और जमैल सिंह को गिरफ्तार किया और औपचारिक पीडब्लू के साक्ष्य दर्ज किए।

पीडब्लू 11 हरि चंद, पुलिस चौकी माढ़ में एएसआई के पद पर तैनात थे। उसने गवाही दी कि 9.8.1996 को, उसे एक वीटी संदेश मिला और वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ परित्यक्त ईंट भट्टे पर गया। प्रोम जहां, उन्होंने 60 बैग बरामद किए जिसमें अफीम का भूसा था। उन्होंने अदालत में आरोपी की पहचान की।

पुलिस चौकी खाई में तैनात पीडब्लू 12 एएसआई सुभाराम ने सांवर मल, ओम प्रकाश और रणबीर को गिरफ्तार किया।

पीडब्लू 13 एसआई राज कुमार ने जांच पूरी होने के बाद चालान तैयार किया।

पीडब्लू 14 के इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह ने गवाही दी कि उन्होंने कथित प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन के संबंध में गुप्त जानकारी प्राप्त की और इसे लिखित रूप में कम कर दिया और मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया। उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर छापा मारा और आरोपियों के पास से कथित मादक पदार्थ बरामद किए।

(पाँच) जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जांच की गई, तो आरोपी-अपीलकर्ताओं ने उनके खिलाफ अभियोजन साक्ष्य में दिखाई देने वाली सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और झूठे आरोप लगाए। बचाव में, उन्होंने अजय कुमार से डीडब्ल्यू 1 के रूप में पूछताछ की और सबूतों को बंद कर दिया।

(छः) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त पप्पू सिंह को दोषी ठहराया। ढोला उर्फ बंता। जरनैल उर्फ रूसी, बाबू उर्फ टुंडा, कोशाला उर्फ कुशाल चंद और लक्खा सिंह को कथित प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे में पाया गया और इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह और एएसआई हरि चंद द्वारा दिए गए बयानों पर विश्वास करते हुए उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जबकि सांवर मल, ओम प्रकाश, रणबीर और पवन सिंह को बरी कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा था।

(सात) उसी से असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने पैरा नंबर 1 में इंगित अपील को प्राथमिकता दी।

(आठ) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते समय एक गंभीर त्रुटि की है क्योंकि इस मामले में लिंक साक्ष्य गायब हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। वसूली एक परित्यक्त जगह से प्रभावित हुई थी। पुलिस पार्टी द्वारा शामिल स्वतंत्र गवाहों को मुकर घोषित कर दिया गया। अपीलकर्ताओं को वसूली के स्थान से गिरफ्तार नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ईंट भट्ठे पर मजदूर को टक्कर देते हैं। ईंट मालिक का बयान, जिससे वसूली की गई थी, दर्ज नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए संस्करण के अनुसार, छापे के समय, एक ट्रक नंबर आरएसएन 2829 जिसमें पोस्ता पुआल और खल था, को आरोपी द्वारा उतारा जा रहा था, लेकिन आरटीए, जोधपुर से सत्यापन करने पर, यह पंजीकरण संख्या एक स्कूटर को आवंटित की गई थी। अपीलकर्ताओं को कथित प्रतिबंधित पदार्थों के कब्जे में नहीं पाया गया था। वे आगे कहते हैं कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जांच अधिकारी द्वारा मौके पर फॉर्म नंबर 29 भरा गया था और उसे केस प्रॉपर्टी के साथ मालखाना में एमएचसी के पास जमा किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करते समय आरोपी से प्रतिबंधित पदार्थ के सचेत कब्जे के संबंध में कोई सवाल नहीं किया गया था। कथित प्रतिबंधित पदार्थ को बरामद करते समय, अधिनियम की धारा 50 और 42 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नहीं की गई थी।

(नौ) दूसरी ओर, विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पूरी तरह से स्थापित है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ता से भारी मात्रा में 'प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए थे, जिन्हें उन पर नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को सही दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है।

(दस) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

(ग्यारह) अपील के लंबित रहने के दौरान आरोपी पप्पू सिंह की मौत हो गई। इसलिए पप्पू सिंह द्वारा दायर अपील को निरस्त किया जाता है।

(बारह) सचेत कब्जे के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***अवतार सिंह*** **बनाम** ***पंजाब राज्य (जे) ने***निम्नानुसार आयोजित किया: -

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'कब्जे' शब्द के अर्थ के विभिन्न रंग हैं और यह अपने अर्थ में काफी क्लैस्टिक है। कब्जे और स्वामित्व को हमेशा न्यूनतम अपेक्षित तत्व द्वारा एक साथ जाने की आवश्यकता नहीं होती है जिसे माल पर हिरासत या नियंत्रण में संतुष्ट होना पड़ता है। क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीन अपीलकर्ता-जिनमें से एक वाहन चला रहा था और अन्य दो बैग पर बैठे थे, इस तरह की हिरासत या नियंत्रण कर रहे थे। उचित संदेह से परे इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। यह साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता वाहन के एकमात्र रहने वाले नहीं थे। केबिन में बैठे एक व्यक्ति और ट्रक के पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस को देखकर खुद को दुर्लभ बना लिया और अभियोजन पक्ष अपनी पहचान स्थापित नहीं कर सका। यह काफी संभावना है कि उनमें से एक माल का संरक्षक हो सकता है चाहे वह मालिक के रूप में हो या नहीं। जो व्यक्ति केवल थैलों पर बैठे थे, किसी और चीज के प्रमाण के अभाव में, उन्हें माल के कब्जे में नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वे केवल लोडिंग और अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए लगे हुए श्रमिक हैं और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि माल कम से कम उनकी अस्थायी हिरासत में था, तो धारा 15 के तहत दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा, वे उकसाने वाले हो सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा कोई आरोप नहीं है। सच है, उनकी चुप्पी और उन परिस्थितियों की व्याख्या करने में विफलता जिसमें वे विषम घंटों में वाहन में यात्रा कर रहे थे, एक मजबूत परिस्थिति है जिसे उनके खिलाफ रखा जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अनुमान लगाने का मामला शायद अभियुक्त के कब्जे को साबित करने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच के दौरान एक सवाल भी नहीं पूछा गया था कि वे व्यक्ति थे जिनके पास अफीम की भूसी थी, वाहन में रखा गया। उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था कि

---

(1) 2002 (4) आरसीआर (सीआरएल) 180

अभियोजन पक्ष के सबूत, वे अफीम की भूसी के बैग पर बैठे थे। हैरत की बात यह है कि ड्राइवर से भी उसी तर्ज पर पूछताछ की गई, धारा 313 के तहत जांच का मूल उद्देश्य, यह सर्वविदित है, अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाने का अवसर देना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माल के कब्जे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। 1 जिस आरोप के संबंध में अपीलकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था, कब्जे के रूप में इस तरह के एक महत्वपूर्ण पहलू पर अपना जवाब प्राप्त करने में विफलता, काफी महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अनुमान लगाना उचित नहीं है और न ही यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे स्थापित किया है कि अपीलकर्ताओं के पास अफीम की भूसी थी जिसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने धारा 35 के तहत अनुमान का सहारा लिया जो कब्जे के पहलू पर विचार किए बिना दोषी मन की स्थिति से संबंधित है। 'ट्रायल कोर्ट ने कब्जे के सवाल को संबोधित किए बिना अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमान लगाया। दोनों न्यायालयों का दृष्टिकोण कानून में गलत है। दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य पर अपना निष्कर्ष निकाला कि आरोपी एक विषम घंटे में अफीम की भूसी वाले वाहन में यात्रा करने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। लेकिन, ऊपर बताए गए अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा न तो विज्ञापित किया गया और न ही ध्यान में रखा गया।

(तेरह) राज ***कुमार*** बनाम ***पंजाब राज्य (2) में,*** 8.250 किलोग्राम अफीम से भरा बैग दो अपीलकर्ताओं के बीच की सीट पर पड़ा था। दोनों अपीलकर्ताओं पर अफीम रखने का आरोप लगाया गया था। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयानों में दोनों में से किसी से भी यह सवाल नहीं पूछा गया कि वे अफीम के कब्जे में थे। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा यह माना गया था कि न तो धारा 35 के तहत और न ही अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमान लागू होगा। आगे कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के लिए यह आवश्यक है कि वह धारा 3 13 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त की जांच करते समय धारा 35 या धारा 54 के तहत उठाए जाने वाले अनुमान के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न तैयार करे और उसका स्पष्टीकरण मांगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक धारा 35 और 54 के तहत अनुमान का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

---

(2) 2005 (1) आरसीआर (सीआरएल) 70

(चौदह) वर्तमान में ईंट भट्ठे से अफीम के भूसे की भारी बरामदगी हुई। मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयानों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि अधिनियम की धारा 35 या 54 के तहत उठाए गए अनुमान के बारे में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था। नतीजतन, पूर्वोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, इस आशय की ऐसी धारणा कि अभियुक्त बैग के सचेत कब्जे में थे, उनके खिलाफ नहीं खींचा जा सकता है।

(पंद्रह) इस मामले में किसी भी आरोपी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया। रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान कैसे की। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पुलिस दल के सदस्य आरोपी को पहले से जानते थे, यदि हां। पुलिस पार्टी उन्हें कैसे जानती थी, इसका संदर्भ नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई जांच शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए, घटनास्थल से भागे आरोपी की पहचान का मिलान वर्तमान आरोपियों से नहीं किया जा सकता था, जिन पर वास्तविक अपराधी होने का संदेह था। इस मामले में गलत पहचान की संभावना है। कथित तौर पर आरोपी को पहचानने वाले एएसआई की वर्तमान आरोपी के साथ कोई दोस्ती या मधुर संबंध नहीं थे, जिससे फरार आरोपी की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था। वर्तमान अभियुक्त को केवल संदेह के आधार पर फंसाने की संभावना है।

(सोलह) रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह पता चलता है कि छापा मारने वाला दल दो स्वतंत्र गवाहों अर्थात् केसर सिंह सरपंच और स्वर्ण सिंह के साथ शामिल हो गया, उपयोग के बाद सील पंद्रह दिनों की अवधि के लिए जांच अधिकारी के पास रही। इसे किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं सौंपा गया, जो टीम का हिस्सा थे। अपनी जिरह में पीडब्ल्यूआई केसर सिंह ने कहा है कि जब पूर्व पीबी वसूली ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह खाली था और उनकी उपस्थिति में कोई वसूली नहीं हुई थी। वह अदालत में मौजूद आरोपियों को नहीं जानता था। स्वर्ण सिंह PW2 ने गवाही दी कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को ट्रक से बैग अपलोड करते नहीं देखा। जैसा कि पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 2 के बयानों से पता चलता है, उपयोग के बाद की मुहर उन्हें नहीं सौंपी गई थी।

(सत्रह) पुन ***: गमजंत सिंह* बनाम *पंजाब राज्य*(3) ।** उपयोग के बाद की मुहर स्वतंत्र गवाह को नहीं सौंपी गई थी। फॉर्म नंबर 29-एम था

---

(3) 2007 (4) आरसीआर (सा.रा.) 226

साथ ही मौके पर नहीं भरा और न ही मालखाने में जमा किया। नमूने 14 दिनों के बाद रासायनिक परीक्षक को भेजे गए थे। यह माना गया कि नमूनों के साथ छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है और यह लिंक साक्ष्य में एक गंभीर दोष था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, उपरोक्त कमियां अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हैं।

(अठ्ठारह) जैसा कि पीडब्लू 11 एएसआई हरि चंद के साक्ष्य से स्पष्ट है। जांच अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बैग से 100 ग्राम का केवल एक सैंपल अलग किया गया। ***हवा सिंह*** बनाम ***हरियाणा राज्य (4)*** में की गई टिप्पणियों के अनुसार, अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दो नमूने लिए जाने चाहिए थे।

(उन्नीस) छापेमारी दल में जीप में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सवार थे। जांच अधिकारी के बयान के अनुसार, वे आरोपियों से कुछ गज की दूरी पर थे, जब वे भाग गए। सभी पुलिस अधिकारी डंडा और अन्य हथियारों से लैस थे। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष द्वारा बहुत कुछ समझाया जाना बाकी है कि कैसे सभी आरोपी भाग निकले और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी एक भी आरोपी को पकड़ नहीं सके।

(बीस) इसके अलावा, जिस ईंट भट्ठे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी की गई थी, उसके मालिक की जांच नहीं की गई। वसूली के समय मौके पर कोई राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं था जब ट्रक नंबर का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि यह स्कूटर मालिक को जारी किया गया था। इन परिस्थितियों में, पोस्ता स्ट्रॉ की बरामदगी अत्यधिक संदिग्ध है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री अभियुक्त को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(इक्कीस) सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के खिलाफ अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(बाईस) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है: दोषसिद्धि और सजा के आक्षेपित निर्णय/आदेश को रद्द करना। आरोपी-अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराध से बरी किया जाता है।

जे.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका

(1) 2005(4) आरसीआर (सा.रा.) 292

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)

(1) 2005(4) आरसीआर (सा.रा.) 292